

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुरटाला गाला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 मोहनराम पुत्र चौखाराम जाति ब्राहमण निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर		1.नरसिंगाराम पुत्र चौखाराम 2 बाबूलाल पुत्र चौखाराम 3 दैरामाराम पुत्र चौखाराम जातियान ब्राहमण 4 सांगाराम पुत्र खेताराम जाति भील 5 मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत 6 राणसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत 7 बादली पत्नी खेताराम जाति भील निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-215/2021 दिनांक-30.10.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पीथल पटवार क्षेत्र महाबार तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 2292/1015 रकबा 25.13 बीघा, व खसरा नंबर 1014/2 रकबा 00.05 बिस्वा कुल रकबा 25.18 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6134-6137

दिनांक- 30/10/21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोहनराम पुत्र चौखाराम जाति ब्राहमण निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण नरसिंगाराम पुत्र चौखाराम वगैराह जाति ब्राहमण/भील/राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर